## न्यायालय:— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क— 349/2014 संस्थित दिनांक— 20.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। ......अभियोजन

## विरुद्ध

- 1. लखन पुत्र मुकेश कुमार अहिरवार उम्र 27 साल
- 2. ओमप्रकाश पुत्र भैयालाल अहिरवार उम्र 31 साल
- 3. बालकृष्ण उर्फ बालकिशन पुत्र गोरेलाल उम्र 29 साल
- 4. भैयालाल पुत्र लक्ष्मण अहिरवार उम्र 70 साल निवासी पटकुईया मोहल्ला चंदेरी

.....अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 14.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324/34, 506 बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.06.2014 को समय 18:45 बजे पटकुईया मोहल्ला चंदेरी अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी राजेश को सार्वजनिक स्थान पर मादरचोद बहनचोद की अश्लील गालिया देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2014 की रात 08:45 बजे फरियादी अशोक नगर से काम करके घर आया तो राजेश अपनी बाखर वालों से कहा कि ओमप्रकाश और बालकृष्ण से कहा कि भूमिया बाबा के रास्ता में से एक तरफ कर वाले। उन लोगों के मना करने लगे और इसी बात पर से राजेश को लखन, ओमप्रकाश, बालकृष्ण और भैयालाल चारों मारपीट कर बहिन चोद और मादर चोट की गालिया देने लगे। राजेश ने गालियां देने से मना किया तो ओमप्रकाश ने लाठी मारी, जो सिर में उपर लगी, चोट आकर खून निकल आया। फिर लखन ने लाठी मारी पीठ में लगी इसके बाद भैयालाल ने धक्का दे

दिया, गिर पडा, झगडे की आवाज सुनकर जितेंद्र, मेहरबान राजेश पत्नी उषा व मां शीलाबाई ने बचाया फिर जाते समय चारो कहने लगे कि हमारी रिपोर्ट की जान से खत्म कर देगें। फरियादी राजेश द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-257/2014 अंतर्गत धारा– 294, 324, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—14.11.2017 को फरियादी राजेश द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (2) दप्रस के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादवि की धारा 294, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा०द०वि० की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04-अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.06.2014 को समय 18:45 बजे पटकुईया मोहल्ला चंदेरी अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी राजेश के साथ लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य होती ?
- दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर अभियुक्तगण ने दिनांक 13.06.2014 को समय 18:45 बजे पटकुईया मोहल्ला चंदेरी अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी राजेश के साथ लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य होती आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से प्रकरण में मात्र चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा०—1) व फरियादी राजेश (अ०सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी राजेश (अ०सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना दिनांक को वह अशोकनगर काम करने गया था और जाते समय ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसे चोट आई थी और जब वह रात्रि में घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि रास्ते के विवाद पर से अभियुक्त ने उसके साथ गाली—गलौच कर दी थी, जब उसने आरोपीगण से इस बारे में बात की तो आरोपीगण ने उसे भी मां बहन की गंदी—गंदी गालियां दी और रास्ता देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस थाना चंदेरी में घटना की रिपोर्ट लेख कराई।
- 07— फरियादी राजेश (अ0सा0—2) के द्वारा न्याायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार घटना में पहले आरोपीगण ने उसकी पत्नी के साथ विवाद किया था, बाद में उसके साथ गाली—गलौच की थीं। फरियादी के कथनों से यह तो स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण और उनके मध्य रास्ते को लेकर विवाद है, परन्तु उक्त विवाद के कारण जिस प्रकार की घटना फरियादी अपने न्यायालीन कथनों में बता रहा है उक्त घटना पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत हैं, जिससे फरियादी की न्यायालीन कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—3 की घटना से नहीं होती है। फरियादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की थी या उसे आई चोटें अभियुक्तगण के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थी बल्कि फरियादी इसके विपरीत स्वयं को आई चोटें एक्सीडेंट से आना बताता है।
- 08— फरियादी राजेश (अ0सा0—2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन ने फरियादी को पक्ष विरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु उक्त परीक्षण में ही फरियादी राजेश (अ0सा0—2) ने इस बात का स्पष्ट

खण्डन किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की थीं। राजेश (अ०सा0—2) प्रदर्श—पी—3 की रिपोर्ट भी पुलिस को लेख न कराना बताता है और न ही पुलिस को प्रदर्श—पी—4 के कथन देना बताता है। अतः फरियादी के अनुसार घटना में केवल अभियुक्तगण से उसका मुंहवाद हुआ था, उसके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई तथा घटना दिनांक को उसके शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें एक्सीडेंट का परिणाम थी।

- 09— डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—1) ने अपने कथनों में स्पष्ट किया है कि फरियादी के शरीर में चिकित्सीय परीक्षण में सिर में, बाई अग्र भुजा में, पेट में, चोटें दर्द व सूजन लिये थी तथा कपडों पर और घाव पर खून के थक्के जमे थे। डॉक्टर एस0 पी0 सिद्धार्थ (अ०सा0—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रदर्श—पी—1 की चिकित्सीय रिपोर्ट से होती है। जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि फरियादी का घटना दिनांक को जब चिकित्सीय परीक्षण हुआ था, तो उसके सिर सहित शरीर के अन्य भाग पर चोटें थी, परन्तु मात्र उक्त चिकित्सीय परीक्षण में उक्त चोटों का पाया जाना, इस बात का निश्चायक प्रमाण नही हो सकता है कि उपरोक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी।
- 10— किसी भी प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की निश्चायक साक्ष्य नहीं होती है, बल्कि उसका उपयोग मात्र पुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में किया जाता है तथा उसे रिपोर्ट लिखाने वाले को मौखिक साक्ष्य से साबित करना होता है। फरियादी स्वयं ही प्रदर्श—पी—3 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श—पी—4 के पुलिस कथन पुलिस को लेख न कराना बताता है तथा घटना में केवल मुंहवाद होकर स्वयं को आई चोटें एक्सीडेंट से आना बताता है। अतः फरियादी के द्वारा अभियोजन घटना के विरूद्ध कथन देने से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 11— फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 13.06.2014 को समय 18:45 बजे पटकुईया मोहल्ला चंदेरी अंतर्गत थाना चंदेरी में फिरयादी राजेश के साथ लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य होती है।

- 12— फलतः अभियुक्तगण लखन पुत्र मुकेश कुमार अहिरवार, ओमप्रकाश पुत्र भैयालाल अहिरवार, बालकृष्ण उर्फ बालकिशन पुत्र गोरेलाल, भैयालाल <u>पुत्र लक्ष्मण अहिरवार</u> भादवि की धारा 324/34 के विरूद्ध आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा ४२८ द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)